

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVETHOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



0.065 हे०, खसरा संख्या 834
रकबा 0.933 हे०, इसा पंचार कुल
रकबा 0.922 हे० का 1/4 भाग
अर्थात् किलीन रकबा 0.2305 हे०
शिन ग्राम- बरौना, गयाना विभाग,
उत्तर प्रदेश जिला रायबरेल।

- 5. गान्त नई शरई -
- 6. सम्पत्ति का धेनपत -
- 7. अदक की स्थिति -
- 8. उपरोक्त का प्रकार -

अपटेअट
0.2305 हेक्टर
सुजाबतुल 1/8 व आसपास पद ले
रकबा 200 मीटर से अधिक
कृपे

संज्ञानन्दे २५

चिन्मड नल



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVETHOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8760113

9. पेटे से खोलें - नहीं
10. गौरव / गुआं अन्त - नहीं।

सैरद्वी खलरा नं० 807

जलर : खलरा नं०-806

अक्षर : खलरा नं०-895

पुस्तक : खलरा नं०-797

पत्रिका : खलरा नं०-808

सैरद्वी खलरा नं० 804

जलर : खलरा नं० 803, 899

अक्षर : खलरा नं०-805, 806

संस्कृत-हिंदी

FO-10-108

भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पुस्तक
परिचय

क्रमांक नं०-802

दस्तावेज नं० 948, 810

जन्म पक्ष की संख्या 1

विक्रय का विवरण

रामचरण पुत्र बन्धु निवासी
खलसामन्डोडा, बरीना तहसील
म जिला लखनऊ।

व्यवसाय- कृषि

दिल्ली पक्ष की संख्या 1


वैला का विवरण

मोला पुत्र मृदुवीराज निवासी ग्राम
मिर्जापुर मिर्जापुर पोस्ट नौगाँव,
तहसील म जिला फतेहपुर।

व्यवसाय- कृषि

३/४/२००७

१०५० ११-१



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000
पाँच हजार रुपये

Rs.5000
FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 453414

यह एक विवेक गन्तव्य पुत्र बलू निवासी स्वयम्भूतलोक,
परीशद गरीब व जिला लखनऊ जिन्हे जने विवेक गरीब व
गोला पुत्र पृथ्वीराज निवासी गाम मिर्जापुर गिदारी पोस्ट नौगाँव,
गरीब व जिला फतेहपुर जिन्हे जने गरीब गरीब व जने गरीब
निष्पादित किया गया।

यह कि विवेक गरीब गन्तव्य 007 रकम 0.089 से, जने
रकम 804 रकम 0.833 से, इस गरीब कुल रकम 0.922 से का

रकम - 1 रु 92

निवेदन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

463413

6

1/4 भाग जमीन स्थित प्लॉट U-2305 में U-सैन्य नाम धरोना, पटना विभागीय, पटना व जिला इलाका का अधिकार, अधिकार व अधिकार है तथा उपरोक्त संपत्ति पर्याप्त अंश में प्लॉट U-2305 के अंतर्गत पूर्ण विस्तार के नाम से जमा कराकर प्रतीक संक्रमण भूमि सजावट अभिलेखों में दर्ज है। विवेक से पैसे की सहायता आवश्यकता है इसलिये विवेक से पैसे लिए गए हैं। इन विवेक लेखों का विवरण का, था है विवेक उपरोक्त प्लॉट पूर्ण भूमि से मानिक, कर्मि व कर्मि है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि खूब भूमि है और उक्त भूमि परसत भूमि

राम नरेश

सिद्ध भोता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



नग्न किया नहीं है। यह कि लिखें। यह घोषित करता है कि उपरोक्त
वर्षित पूर्ण सभी प्रकार के जारी में मुद्रा एवं एक न संपन्न है तथा
लिखें। ने उसे इस विषय से पूर्व कहीं क्या, लिखा, लिखी या अनुबन्धित
इत्यादि नहीं किया है। लिखें। ने उक्त घोषित कर कृपे रूप में उक्त प्रकार
का कोई काम नहीं किया है। यदि कोई ऐसा काम संविधान में लिखित है
तो उसके विरोध में लिखें। ने उक्त घोषित व लिखित जाचक्षिणी
के अन्तर्गत होने या उक्त घोषित या लिखी जाचक्षिणी या संविधान
संशोधनों से अन्तर्गत विषय पर कानून बनाया नहीं है। न ही कुछ इत्यादि

उत्तर प्रदेश सरकार

लिखित घोषित





है। विवेक के अभाव में एक भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का नाम, भू-पा
 दावा इत्यादि नहीं है, एवं विवेक को सक्षम विवेक अन्तर्गत करने का पूर्ण
 अधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्त समिति के फलस्वरूप कुल विवेक
 कुल रु० 3,64,374/- के प्रतिफल में निम्नलिखित उपरोक्त केन अथ विवेक
 को इस विवेक के अन्त में ही गई अनुसूची में वर्णित विवेक के अनुसार
 भुगतान कर दिया गया है। यह निराश पण्डित को विवेक परी लीकर
 करते हैं, परन्तु उपरोक्त विवेक के अन्त में अन्य उपरोक्त विवेक भूमि
 विकास विभाग इस विवेक विवेक के अन्त में अनुसूची में अन्तर्गत

2004 नंबर 10

निम्नलिखित

5/1/84

दिया गया है, जो कर्म के लिए है, एव विवेक से विकल्पपूर्ण
 भूमि का भोजन कर दिया जाता है। अतः एक
 अर्थसे यह विवेक तथा उसके परिणाम का कोई अधिकार नहीं है।
 विवेक से विकल्पपूर्ण सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के कारण अधिकारों के
 साथ प्राप्तता पर हमेशा के लिए देना ही उचित नहीं कर दिया है। एक
 देना विकल्पपूर्ण सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व
 व अधिकार व अपने से सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपयोग
 करेगी। विवेक व उसके परिणाम उसमें किसी प्रकार ही अडबट तथा
 नहीं प्राप्त करेगी एवं न ही कोई नान कर लेंगे और यदि विकल्पपूर्ण
 सम्पत्ति अथवा कोई भी विवेक के सम्पत्ति में त्रुटि के कारण या जानूनी
 अडबट या कानूनी त्रुटि के कारण देता या उसके बारेमान निष्पादकता
 इत्यादि के करने पर अधिकार या स्वयं ही निकल जाये तो देता उसके
 परिणाम, निष्पादकता इत्यादि को यह एक देता कि वह अपना सम्पत्ति
 तुल्यता पर ही व अपने, विवेक ही देता, अतः सम्पत्ति में अर्द्ध
 अधिकार वसूल कर तो वह विवेक में देता एवं उसके परिणाम ही व
 देता देने हेतु धारण देता।

यह कि विवेक ही ही अधिकार देता है कि उक्त भूमि सम्पत्ति
 विवेक प्राधिकरण, सम्पत्ति तथा उक्त आगत एवं विवेक प्राधिकरण,
 सम्पत्ति तथा अन्य विवेक में सम्पत्ति अथवा वह सम्पत्ति अथवा उक्त
 सम्पत्ति नहीं ही ही है और न ही प्रत्यक्ष है।

सम्पत्ति - सम्पत्ति

विवेक प्राधिकरण

यह कि कां विकल्पदा संपत्ति की दखिन दखिन गणना अधिलेख में अपने नाम एवं रूप से जो विक्रेता को कोई संपत्ति न होगी और यह कि कां विक्रेता विक्रेण के पूरा को करण कोई संपत्ति नहीं करे या यदि इन संपत्ति को होगा तो उसके विक्रेता भुगतान के काल तक विक्रेता को कोई आयसे न होगी।

यह कि जरीका अकाद नम्बर दान चरीना जयनगरीव क्षेत्र के सामान्य प्रण के अन्तर्गत अका है इसलिए निर्धारित संपत्ति रकम रु. 21,00,000/- अर्थात् टैन्टैजर डिमांड से विक्रीत भूमि 0.2305 हेक्टेयर को मलियत रु. 2,50,550/- होती है तथा विक्रेण मूल्य, भूमि की मानात मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रेण मूल्य पर ही रु. 36,500/- जनरल स्टाम्प अका किया जा रहा है। यह कि जरीका निर्धारित भूमि कृषि के अख्येय के लिए कय की जा रही है। भूमि में कोई भी इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की अध्यात्मन परिविधियां नहीं कर रही है व कोई मलमूय, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मीटर के अध्यात्मन से कोई निर्माण नहीं है विक्रेता भूमि किसी लिक मार्ग, सामान्य व जनसुवीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व आगरा शरीफ गव से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीता एवं देना दोनों अनुपस्थित जति है काल्य है। इस विवरण विवरण के निबन्धान का सामान्य रूप में ही ध्यान किया गया है।

2/12/2018

निदेशक क्षेत्र



दिनांक

14/07/20 250/000/00

SURE DE 40 50000 3000

की संख्या का नमूना संख्या का नमूना

विषय सूचना

की संख्या का नमूना

का नमूना की संख्या

का नमूना

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना

का नमूना

के नमूना संख्या का नमूना संख्या का नमूना संख्या का नमूना

के नमूना संख्या का नमूना

Handwritten signature



Handwritten signature

राज्य निदेशक (प्रशासन)

संख्या

250/20007

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना संख्या का नमूना संख्या का नमूना

विषय

की संख्या का नमूना *Handwritten signature*

का नमूना की संख्या

का नमूना

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना



का


की संख्या का नमूना

का नमूना की संख्या का नमूना

का नमूना

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना

Handwritten signature



के नमूना संख्या का नमूना

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना

का नमूना की संख्या का नमूना

का नमूना

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना


का नमूना संख्या का नमूना

का नमूना

का नमूना

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना

का नमूना



Handwritten signature

विषय सूचना का नमूना संख्या का नमूना संख्या का नमूना संख्या का नमूना

Handwritten signature

राज्य निदेशक (प्रशासन)

संख्या

250/20007

River


Registration No. 1121

Year: 2007


Book No. 1

0101 04-08


10d
non-sterile water
100x



2005
 2005
 2005




2005-2005




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1950 की धारा-37(1) के अनुसार जे. ए. सिन्हा के द्वारा

प्रस्तुतकर्ता/विद्यार्थी का नाम व पता:- एमनरेश पुत्र बलराम निवासी-खरखनवाडीया ग्राम
बरीना, तहसील बरौली जिला प्रयाग

यहाँ ग्रह के अंगुलियों के चित्र:-



बाएँ से दाएँ के अंगुलियों के चित्र :-



राज्य-उत्तरांचल


प्रस्तुतकर्ता/विद्यार्थी के पता पर

जैता का नाम व पता:- मोला पुत्र पुष्पीराम निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील पोंड
नीगांव, तहसील बरौली जिला फतेहपुर

यहाँ ग्रह के अंगुलियों के चित्र:-



बाएँ से दाएँ के अंगुलियों के चित्र :-



जैता का नाम व पता:-
मोला पुत्र पुष्पीराम
निवासी ग्राम मिर्जापुर
तहसील पोंड नीगांव,
बरौली जिला फतेहपुर

आय क्रमांक 09/04/2007 को
खो मं 1 दिवस 8264
पृष्ठ सं 113 से 138 का क्रमांक 3721
संशोधित किया गया।

क. के. शुक्ला

उप निबन्धक (अध्यक्ष)

राजस्थान

194/2007

